न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 10.03.2017

अपील संख्या 42/2017

उनवान

1– राधाकिशन पुत्र कल्याण प्रसाद, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– प्रभूलाल पुत्र कल्याण प्रसाद, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– जगदीश पुत्र कल्याण प्रसाद, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– मांगीबाई पुत्री कल्याण प्रसाद पत्नी बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी ढाबा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– मोतीलाल पुत्र कनीराम, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– सतवीर उर्फ जुगल पुत्र बद्रीनारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– जाना बाई बेवा बद्रीनारायन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– जमना बाई बेवा बद्रीनारायन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– नन्दूबाई बेवा बद्रीनारायन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

5– गोरधन पुत्र कनीराम, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :–

5/1– सुलोक चन्द आत्मज गोरधन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5/2– श्रीलाल आत्मज गोरधन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5/3– चतुर्भज आत्मज गोरधन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5/4– राखी बाई पुत्री गोरधन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– रामचरण पुत्र काशीराम, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़

8– शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़

9– शाखा प्रबन्धक महोदय, झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़

10– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 42/2017 दायरा दिनांक : 10.03.2017

उनवान

1– राधाकिशन पुत्र कल्याण प्रसाद, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– प्रभूलाल पुत्र कल्याण प्रसाद, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

3— जगदीश पुत्र कल्याण प्रसाद, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4— मांगीबाई पुत्री कल्याण प्रसाद पत्नी बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी ढाबा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5— मोतीलाल पुत्र कनीराम, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— सतवीर उर्फ जुगल पुत्र बद्रीनारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— जाना बाई बेवा बद्रीनारायन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— जमना बाई बेवा बद्रीनारायन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4— नन्दूबाई बेवा बद्रीनारायन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5— गोरधन पुत्र कनीराम, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :—

5/1— सुलोक चन्द आत्मज गोरधन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5/2— श्रीलाल आत्मज गोरधन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5/3— चतुर्भज आत्मज गोरधन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5/4— राखी बाई पुत्री गोरधन, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

6— रामचरण पुत्र काशीराम, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7— शाखा प्रबन्धक महोदय, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़

8— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

...रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेन्द्र सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.11.2020

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 226/2014 व 227/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 4 ने एक दावा अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 5 लगायत 10 के विरूद्ध दिनांक 17.09.2014 को पेश किया था । प्रतिवादी नम्बर 5 अपीलांट ने जवाब दावा पेश किया तथा काउंटर क्लेम भी पेश किया था प्रतिवादीगण को सम्मन की तामील भी नहीं हुई लेकिन अपीलांट को व प्रकरण के सभी पक्षकारान को सूचना के बिना दिनांक 12.10.2015 को प्रकरण को बिना अपीलांट की सहमति के निर्णय व डिक्री पारित कर दी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं भारी भूल की है जिसके विरूद्ध अपीलांट निम्न कारणों से अपील प्रस्तुत कर रहा है । दोनों अपीलों में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा पेश किया कि उसके

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

सम्मन सभी प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं हुए हैं । सम्मन किस तारीख को जारी हुए, सम्मन की तामील कौनसी तारीख को तामील हुए तथा उस तारीख को न्यायालय में क्या कार्यवाही हुई यह पत्रावली पर अंकित नहीं है तथा प्रकरण अचल सम्पत्ति के हक के निस्तारण का है । इस कारण प्रतिवादीगण को सम्मन दोबारा जारी होने चाहिए थे । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के सभी प्रतिवादीगण की तामील मानकर एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश गलत रूप से दिया है । अपीलांट गांव के बिना पढ़े लिखे वृद्ध व्यक्ति हैं तथा कानूनी पेचीदगियो को नहीं समझते हैं । रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम 5 लगायत 10 के विरूद्ध बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया इस दावे में प्रतिवादी नम्बर 5 ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया था । इस दावे का अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 5 लगायत 10 की बिना सहमति के, बिना साक्ष्य व दस्तावेज के निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स का आराजी पर किस जगह कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बारे में कोई जांच करना, दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य लेना उचित नहीं समझा। अपीलांट वादग्रस्त आराजी के टीनेन्ट खातेदार हैं इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है । वादीगण ने आराजी के बंटवारे का दावा किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी के बंटवारा करने बाबत निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 5 का हिस्सा पृथक करने का निर्णय व डिक्री पारित कर दी तथा अन्य खातेदारान के हिस्से के बारे में तथा उनके कब्जे के बारे में किसी प्रकार का कोई निर्णय व डिक्री पारित नहीं की । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का उचित एवं पूर्ण अवसर दिये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो अवैधानिक है । विवादग्रस्त आराजी अपीलांट की स्वयं की थी । अपीलांट के कब्जे एवं काश्त में चली आ रही है । अपीलांट खातेदार कृषक है । विवादग्रस्त

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)

आराजी का मौखिक रूप से आपसी पारिवारिक समझौते के अनुरूप बंटवारा था । इसी अनुसार विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा खातेदारान का है । इस कारण अब दोबारा बंटवारा होने योग्य नहीं था । इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की प्लीडिंग्स तथा दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2015 निरस्त की जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.02.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा सम्मन किस तारीख को जारी हुए, सम्मन की तामील कौनसी तारीख को तामील हुए तथा उस तारीख को न्यायालय में क्या कार्यवाही हुई यह पत्रावली पर अंकित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें बिना सुने बिना ही कार्यवाही आगे बढ़ा दी । प्रतिवादी नम्बर 5 ने काउंटर क्लेम पेश किया था, न तो हमारी साक्ष्य ली, बिना सहमति के फसला कर दिया जबकि दुबारा सम्मन जारी होने चाहिए थे । अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित किया है । राजीनामा पक्षकारों की सहमति से होना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2017(1) पेज 446 उद्धरत की ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तामील हुई है । लोक अदालत के नोटिस भी भेजे गये । दोनों पक्षकारों की तामील हुई तथा दोनों पक्षकारों की सहमति से निर्णय किया गया, जो उचित है । अपील खारिज की जाये ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने पुनः बहस में कथन किया कि सहमति में सभी 4 वादी एवं 7 प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर होने चाहिए । केवल तीन–चार हस्ताक्षर से फैसला नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दोनों अपीलों में न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि राजीनामे में सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं । राजीनामा सभी पक्षकारों के मध्य होना चाहिए । आर आर टी 2017 (1) पेज 446 यहां चस्पा होती है । बंटवारे में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना भी की जानी चाहिए लेकिन प्रकरण में इसका अभाव है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 42/2017 एवं 43/2017 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.2015. अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करें एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर प्रकरण में नये सिरे से विधि

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.01.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा